राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/18/ 4910 दिनांक :– 17.01.2018

संयुक्त सचिव एंव मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी),
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली।

विषयः– प्रदेश स्तर पर नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका द्वारा प्रदेश के पेट्रोल पंपो पर स्थित शौचालयो को सार्वजनिक शौचालयो के रूप में काम लेने के संबंध में।

संदर्भः– राजस्थान पैट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का पत्र दिनांक 11.01.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम मे लेख है, कि प्रदेश के डीलर्स द्वारा सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के माध्यम से प्रदेश के पेट्रोल पंपो पर स्थित शौचालयो को सार्वजनिक शौचालय घोषित करने के साईन बोर्ड लगवाये जा रहे हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि से सही नही है, क्योंकि सार्वजनिक घोषित करने के पश्चात् सभी व्यक्ति इनका उपयोग करने लग जाएंगें। इनमे कई बीडी–सिगरेट, मोबाइल आदि ज्वनलशील पदार्थो का सेवन करने वाले भी पंप पर आयेंगे और अधिकतर व्यक्तियो को यह जानकारी नही है कि पंप पर किन–किन चीजो को उपयोग नही करना चाहिए। इसी कारण पंप के शौचालयो को सार्वजनिक घोषित करने पर आगजनी की पूर्ण संभावना है। पेट्रोलियम एंव नेच्युरल गैस मंत्रालय के पत्र दिनांक 17.11.2017 द्वारा सुरक्षा के मापदण्डो को ध्यान मे रखते हुये पंप के शौचालयो को सार्वजनिक घोषित नही किया है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान फ्यूल पंपो पर बने शौचालयो को भी प्रयोग मे लेने के अंक निर्धारित है। तदानुसार निकायो को विभाग द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे।

अतः आपसे अनुरोध है, कि फ्यूल पंपो पर बने शौचालयो को सार्वजनिक शौचालयो के रूप में काम मे लेने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक :– 17.01.2018

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/18/ 4911- 4929
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, निदेशक (स्वच्छता)
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
6. निदेशक विधि, निदेशालय।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
8. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
9. मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
10. उपनिदेशक क्षैत्रीय समस्त।
11. अध्यक्ष, राजस्थान पैट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन
12. सचिव ,राजस्थान पैट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन
13. प्रोगामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

17/1/18
(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

Regd. No. 133 (1973)

RPDA 0141-2743219

Rajasthan Petroleum Dealers Association

"PETROLEUM HOUSE" E-565, Lal Kothi Scheme, Tonk Road, Jaipur-302 015

President
SUNEET BAGAI
C/o. Service Centre
JAIPUR

Sr. Vice President
HUKUM SINGH SHEKHAWAT
JODHPUR

Gen. Secretary
PRAKASH GAWALERA
C/o. Gawalera Filling Station
KOTA

Secretary
SHASHANK KAURANI
C/o.Indus Agencie
JAIPUR

Treasurer
RAMPAL AGARWAL
C/o. Agarwal Motors
JAIPUR

Vice President
ANOOP DHOOT
M/s Jyoti Traders
Jaipur

ARVIND SHARMA
M/s Aravali Filling Station
Udaipur

GIRIRAJ RATHI
M/s Mathura Das Sukhlal Rathi
Jaipur

KEHAR SINGH
M/s Jawan Auto Mobile
Jhunjhunu

MAHVEER PRASAD JAIN
M/s General Auto Centre
Deeg – Bharatpur

NARENDRA BIHANI
Bihani Brother
Sriganganagar

RAJENDRA SINGH BHATI
M/s Vinayak Fueal Filling Station
Sardarshahar – Churu

SANDEEP SINGH RATHORE
M/s Pushp Raj Indian Oil
Jaipur

SURPAT SINGH
Jai Automobiles
Bikaner

UMMAD SINGH TANK
M/s Narpat Petrol Service
Jodhpur

VINOD ADLAKHA
Sethi Filling Station
Baran

दिनांक 11 जनवरी 2018

श्रीमान् पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्थानीय स्वशासन विभाग
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं !

विषय :- प्रदेश स्तर पर नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका द्वारा प्रदेश के पेट्रोल पंपो पर स्थित शौचालयों को सार्वजनिक शौचालय घोषित करने के संबंध में लगाये जा रहे साईन बोर्ड के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश के डीलर्स द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के माध्यम से प्रदेश के पेट्रोल पंपो पर स्थित शौचालयों को सार्वजनिक शौचालय घोषित करने के साईन बोर्ड लगवाये जा रहे हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है।

महोदय, इसके संबंध में आपको अवगत करवाना चाहते है कि दिनांक 12 दिसम्बर 2017 को माननीय युडीएच मंत्री व महापौर नगर निगम जयपुर की उपस्थित में स्वच्छता अभियान को लेकर नगर निगम जयपुर के प्रांगण में एक बैठक आयोजित की गई थी, इस बैठक में प्रदेश के पेट्रोल पंपो पर स्थित शौचालयों को सार्वजनिक करने का विषय भी सदन में लिया गया था। इस पर बैठक में हमनें सदन को अवगत करवाया था कि यदि इनको सार्वजनिक शौचालय घोषित कर दिया जाता हैं तो पंपो पर आगजनी की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। क्योंकि सार्वजनिक घोषित करने पश्चात सभी व्यक्ति इनको उपयोग करने लग जाएगें। इनमें कई बड़ी-सीगरेट, मोबाईल आदि ज्वनलशील पदार्थो का सेवन करने वाले भी पंप पर आयेगें और अधिकतर व्यक्तिओं को यह जानकारी ही नहीं है कि पंप पर किन-किन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस कारण पंप के शौचालयों को सार्वजनिक घोषित करने पर आगजनी की पूर्ण संभावना है। केन्द्र सरकार ने भी इन्हीं सुरक्षा के मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए पंप के शौचालयों को सार्वजनिक घोषित नहीं किया है (प्रति संलग्न है)।

अतः हमारा आप से निवेदन है कि नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका द्वारा पंपो पर लगाये जा रहे सार्वजनिक शौचालय के साईन बोर्डो पर शीघ्र प्रभाव से रोक लगवायी जावे। यदि इस कार्य में आपसी वार्ता की आवश्यता है तो हम इसके संबंध में वार्ता करने के लिये तैयार है। आशा है आपका सहयोग हमें अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद।

भवदीय

(सुनीत बगई)
अध्यक्ष

(शशांक कौरानी)
सचिव

IMMEDIATE
RTI MATTER

No.P-45011/31/2017-Dist.
Government of India
Ministry of Petroleum & Natural Gas

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated 17th November 2017

To

Shri Rajinder Singh Bhatti,
Bhawani Niketan, Nearby Purva Guest House,
Sardarsehar, Distt.-Churu, Rajasthan.

Subject: Information sought under the RTI Act, 2005 – reg.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 26th October 2017 received on line (Regn. No. MOPNG/R/2017/00948).

2. It is stated that as per record, no order declaring toilets at retail outlets as public toilets has been issued by Distribution Section, MOPNG. With regard to points relating to Marketing Discipline Guidelines (MDG), it is informed that MDG has been formulated to help the Public Sector Oil Marketing Companies (OMCs) to maintain discipline in the operation of their retail network and provide standard customer services, and that these guidelines are administrative in nature. As per the record, these guidelines have neither been notified through Gazette Notification nor have been approved by the Parliament. Further, as Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) is the Industry Coordinator in respect of MDG, the above RTI application is also transferred to PIO, BPCL under Section 6(3) of the RTI Act, 2005 for providing the requisite information to you directly.

3. In case you are not received/satisfied with the information provided by the PIO of BPCL, you can make an appeal with the 1st Appellate Authority of BPCL i.e. "General Manager (Retail) & 1st Appellate Authority, Bharat Petroleum Corporation Ltd., Bharat Bhawan, 4 & 6, Currimbhoy Road, Ballard Estate, Mumbai- 400 001." So far as this reply is concerned, an appeal can be made with "Shri K.M. Mahesh, Director (LPG) & 1st Appellate Authority, MOPNG, Room No.209-B, 'B' Wing, 2nd Floor, Shastri Bhavan, New Delhi" within the time limit stipulated as per provisions of the RTI Act, 2005

Yours faithfully,

(Awdhesh Kumar Mehta)
Under Secretary to the Government of India &CPIO

Encl.: As above.

Copy to :-

General Manager (Liasion & Coordination) & Public Information Officer, Marketing (Corporate), Bharat Petroleum Corporation Ltd., Bharat Bhavan, 4 & 6 Currimbhoy Road, Ballard Estate, Mumbai-400001.	RTI application is transferred to you under Section 6 (3) of RTI Act, 2005 to provide the requisite information (on behalf of Industry) to the applicant directly.